# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून

# 2005

## गांवों में 100 दिन की रोजगार

## अब बना कानूनी अधिकार

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☞ प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार गारंटी | ☞ ग्रामीण परिवारों की पंजीकरण पंचायत स्तर पर | ☞ पंजीकृत परिवार का महत्वपूर्ण दस्तावेज जाँच कार्ड | ☞ कार्य के लिए आवेदन स्वयं करना होगा |
| ☞ महिलाओं को विशेष प्राथमिकता | ☞ समयबद्ध रोजगार आवंटन | ☞ रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान | ☞ न्यूनतम् मजदूरी की गारंटी |
| ☞ कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए कल्याणकारी सुविधायें | ☞ मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था | ☞ कार्यों का चयन परियोजना प्रस्ताव तथा कियान्वयन | ☞ सोशल आडिट (अपना पैसा अपना हिसाब) |
| ☞ सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार की उपलब्धता | ☞ ठेकेदारी व मशीनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध | ☞ शिकायत प्रक्रिया एवं उचित कार्यवाही | ☞ 05 कि.मी. के अन्दर रोजागार की उपलब्धता |

सहभागी शिक्षण केन्द्र
सहभागी रोड, छठा मील (पुलिस फायर स्टेशन के पीछे)
सीतापुर रोड, लखनऊ– 227 208 (उ०प्र०) भारत
टेलीफोन: (05212) 298004-6
फैक्स- (05212) 298003, मोबाइल: 9415501865
ई–मेंल: info@sahbhagi.org वेब: www.sahbhagi.org

# आमुख

रोजगार गारन्टी कानून 2005 एक लम्बे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। यह कानून आम गरीब और मजदूर आदमी के जीवन के बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका ला सकता है। संसद द्वारा पारित कानून निश्चित रूप से हम लोगों की अपेक्षाओं से काफी कम हैं फिर भी सामाजिक, राजनैतिक अधिकारों से आगे बढ़ कर आर्थिक अधिकारों को हासिल करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

लेकिन यह बदलाव कानून के बाद भी संभव नहीं हो पायेगा। जब तक इस कानून का सही ढंग से पालन न हो, सही पालों का चयन न हो स्थानीय स्तर पर जागरूकता न हो, योजनाओं का सही ढंग से निर्माण न हो। इसके लिए नागर समाज संगठनों द्वारा एक जन आन्दोलन जागरूकता के लिए चलाना होगा। इस आशा से कि आम गरीब आदमी का जीवन और जिन्दगी में खुशियों के दो पल जरूर आयेंगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे समाज में वह सम्मान के साथ जी सकेंगे।

इस पुस्तिका में मुख्य रूप से रोगार गारन्टी कानून की मुख्य बातों को सरलीकृत किया गया है, साथ ही नागर समाज संगठनों की भूमिकाओं पर थाड़ी बात की गई है। इस आशा के साथ कि आप के सुझाव एवं विचार से हम सबकी रणनीति बन पाये। इसी आशा के साथ–

आपका,

अशोक भाई

# पृष्ठभूमि :

पिछले कई वर्षों से मजदूर संगठनों नागर समाज संगठनों ने एक ऐसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून की मांग करते रहे हैं, जिसमें रोजगार गारंटी के साथ काम के अधिकार को संरक्षित करने के दूसरे कानूनी उपाय भी हों। भारत की संसद ने राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को एक लम्बे संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों के कड़े विरोध के बाद 23 अगस्त 2005 को पारित किया है क्योंकि काम का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गये **''गरिमा के साथ जीने का अधिकार''** की पूर्व शर्त है, संविधान के अनुच्छेद् 41 में भी देश के प्रत्येक नागरिक को काम के अधिकार की बात की गई है। **स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद अगर भारत सरकार ने गाँधी जी के सच्ची आजादी को आत्मसात करते हुए सबको शिक्षा, सबको रोजगार की बुनियाद के प्रति अग्रसर हुई है तो यह एक सकारात्मक पहल है। लेकिन अभी भी यह कानून कोई आर्दश कानून नहीं है।** फिर भी राष्ट्रीय रोजगार कानून 2005 कम से कम एक ऐसा संभावित हथियार तो अवश्य है जिससे देश की करोड़ो जनता जो अभी तक अपने हकों की लड़ाई के स्वरूप में योजनाओं के कियान्वयन एवं उसके प्रतिफल पाती रही हैं, पहली बार उन्हें एक अस्त्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है जिससे वे अब अपने बुनियादी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।

गारंटी शुदा रोजगार प्राप्त होने से उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचाया जा सकता है, मोल भाव करने की उनकी ताकत में इजाफा किया जा सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते संगठित होने में उन्हें मदद किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारवादी पैरोपकार भले ही 7 प्रतिशत विकास दर पर गर्व करें लेकिन यह कटु सच्चाई है कि आज भी भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं। जिसका प्रभाव गांवों में गरीबी बढ़ने से लोगों द्वारा रोजगार की तलाश में शहरों के तरफी भागना पड़ता है। **शहरों में स्थायी रोजगार तो प्राप्त नहीं होता, उन्हें यहां भी मजदूरी का ही कार्य करना पड़ता है। शहरों की सीमित सुविधाओं में से उन्हें शहर के गन्दे नाली एवं सड़क के किनारे अपना आशियाना बनाना पड़ता है। जिससे उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर ही खर्च कर देना पड़ता है।**

भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को देश के 200 जिलों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के सिर्फ 22 जिलों का चयन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा बेरोजगारी और गरीबी मिटाने की दिशा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। हलांकि इससे बेरोजगारी जैसे समस्य से निजात तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन बदहाली में जी रहे ग्रामवासियों को राहत अवश्य महसूस होगी। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक यह कानून सिर्फ कागजों पर रहे या उसका आधा अधूरा कियान्वयन हो। अभी तक के बने सामाजिक कानून का इतिहास यही रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों को अपनी हकदारी पाने के लिए लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून 2005 को सफल बनाने के लिए जनता को उत्प्रेरित करने की व्यापक प्रकिया अपनानी होगी, क्योंकि गारन्टी शुदा रोजगार की संगठित मांग जितनी मजबूत होगी उतनी ही सफलता से यह कानून लागू हो सकेगा। इसलिए इस दिशा में पहला कार्य होगा इस कानून को समझना, खाशकार से यह जानना कि इस कानून के तहत हमारे क्या अधिकार है, **इस कानून के पालन न होने से हमें कहां अपील करना होगा, और यह सभी कार्य इस योजना के लाभार्थियों से अपेक्षा नहीं किया जा सकता। इसके लिए इनके हकों एवं अधिकारों के लिए लड़ने वाले नागर समाज संगठनों को आगे आना होगा। तभी यह कानून अपने निश्चित लक्ष्यों को पाने में पूरक हो सकता है।**

इस कानूनी योजना के अमल में ग्राम पंचायतों के साथ–साथ अन्य स्थानीय निकायों को भागीदारी बनाया गया है, फिर भी इसके बावजूद इसे अमल करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी और यह कार्य कुशल निगरानी तंत्र के जरिये ही संभव है, योजना के मुताबिक केन्द्र सरकार इस कार्य पर 90 प्रतिशत खर्च करेगी लेकिन इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकारों के पास होगा। परिवार के मात्र एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार देने से बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। बेरोजगारी समाज में अनेक समस्यायें पैदा करती है, जैसे – अशिक्षा, पिछड़ापन, नक्सली गतिविधियां आतंकवाद, चोरी, डकैती का प्रमुख कारण रोजगार का अभाव ही होता है। **इसलिए बेरोजगारी जैसी समस्या से स्थायी हल सिर्फ गाँवों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि से ही मुमकिन है। इसके लिए गाँवों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।**

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें :

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक योजना नहीं है यह एक वैधानिक प्राविधान है जिसके अन्तर्गत रोजगार देने की गारन्टी किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के प्राविधानों के नियोजन एवं कियान्वयन का प्रमुख दायित्व पंचायतीराज संस्थाओं का है।
- संस्थागत मशीनरी के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेह, सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसहभागिता को सुनिश्चित किया गया है।
- लोगों को अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को पेश करने का मौका दिया गया है।
- राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के कार्यक्षेत्र में कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो रोजागर पाना चाहता है वह ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज करा सकता है। ग्राम पंचायतों की यह भूमिका है कि वह उस व्यक्ति का रोजगार कार्ड जारी करे। इसमें किसी भी तरह का जातिगत या BPL श्रेणी की बात नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में श्रमिक को अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार दिया जायेगा, अन्यथा उसको अतिरिक्त मजदूरी देना होगा।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से व्यक्ति को प्राप्त अधिकार :

1. रोजगार की माँग करने का अधिकार
2. रोजगार की माँग किये जाने पर 15 दिन के अन्दर रोजगार प्रापत करने का अधिकार
3. 15 दिन के अन्दर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।
4. कार्यक्षेत्र में कार्य करते वक्त पीने योग्य साफ पानी बच्चों के लिए छत तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार।
5. राज्य में वैधानिक निर्धारित मजदूरी दर को प्राप्त करने का अधिकार।

# क्या कहता है राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कानून 2005 :

इस कानून की बुनियादी सोच है कि जो भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम् मजदूरी दर पर कार्य करना चाहता है उसे रोजगार पाने की गारन्टी होगी। साथ ही, जो भी वयस्क काम पाने का आवेदन दें उसे 15 दिन की अवधि में सार्वनिक कार्यों पर काम पाने का अधिकार है। यह कानून सम्मान के साथ जिले की बुनियादी अधिकार को कानून द्वारा पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## रोजगार गारन्टी कानून से किसको लाभ होगा

- इस कानून का प्रभाव सबसे अधिक ग्रामीण परिवारों की गरीबी और भुखमरी से बचाने में मदद्गार होगा।
- इस कानून को व्यवहारिक रूप से कियान्वयन होने से ग्रामीणों का रोजागार को लेकर जो पलायन शहरों या दूसरे राज्यों में होता है, उसमें कमी आयेगी, क्योंकि अब 100 दिन का रोजागार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस गारण्टी युक्त रोजगार से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्थिति सशक्त होगी जो अभी तक की योजनाओं से नहीं प्राप्त हो रहा था।
- इस कानून के बन जाने से गांवों की बुनियादी रोजागार के साथ–साथ स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा।

**इस कानून के लागू होने से समाज में संतुलन बनेगा, समजा एक समता मूलक समाज की तरफ बढ़ने में अग्रसर होगा। <u>और अंत में यह कानून पहली बार मजदूरों की ताकत को बढ़ायेगा। इसके माध्यम से मजदूर संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी की दर को लेकर अपनी सुरक्षा को लेकर लामबन्द होकर अपनी शर्तें मनवा सकते हैं।</u>**

## रोजगार गारन्टी योजना में काम पाने का अधिकार :

- यह कानून सभी वयस्क जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें यह अधिकार देता है कि वे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बशर्तें उन्हें काम करने की इच्छा हो यह कानून किसी भी जाति या बी.पी.एल. कार्ड धारकों के लिए नहीं है बल्कि सभी जाति सभी वर्गों के लिए लागू किया गया है। शर्त यह है कि कार्य करने की इच्छा हो और उसके लिए ग्राम पंचायत में अपना पंजीयन कराया गया हो।

## वर्ष में व्यक्ति के कार्य की सीमा

- यह कानून प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजागार उपलब्ध कराने की गारन्टी देता है। यहाँ पर वर्ष का आंकलन 1 अप्रैल से 30 मार्च पूरे 12 महिना का मानक है हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रत्येक परिवार को 100 दिन के रोजागार का कोटा शुरू होगा। यहां पर प्रत्येक परिवार का 100 दिन के रोजगार की गारण्टी के रूप में वे अलग–अलग दिन या एक साथ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से अधिक रोजगार नहीं दिया जा सकता है।

## रोजगार गारन्टी कानून में परिवार की परिभाषा

- रोजगार गारण्टी कानून के अनुसार परिवार वह इकाई है जिसके सदस्य एक दूसरे से खून के रिश्ते से विवाह के रिश्ते या गोद लेने के रिश्ते से एक दूसरे से संबंधित है और सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं साथ–साथ रहते हैं, साथ–साथ खाना खाते हैं या जिनका राशन कार्ड एक हो।

## रोजगार गारन्टी योजना के कियान्वयन की जिम्मेदारी

- रोजगार गारण्टी योजना को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये वित्त से राज्य सरकार द्वारा कियान्वित कराया जायेगा। कियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जिला एवं मध्यस्तरीय तथा ग्राम स्तर की पंचायतों की होगी। प्रत्येक जिले में एक जिला कार्यकम अधिकारी होगा जो जिले का जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी होगा, तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक कार्यकम अधिकारी होगा जो खण्ड विकास अधिकारी के स्तर का अधिकारी होगा। रोजगार गारण्टी योजना की कियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर के कार्यकम अधिकारी का ही होगा तथा वह जिला समन्वयक के प्रति जवाबदेह होगा।

### <u>(क) मध्य स्तर की पंचायत की जिम्मेदारियां :</u>

1. रोजगार गारंटी योजना के तहत कामों के **''प्रस्ताव''** कार्यकम अधिकारी को भेजना।
2. कार्यकम अधिकारी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का कियान्वयन सही ढंग से कराना।
3. खण्ड स्तर की योजना के अनुमोदन कर उसे अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर की पंचायत को भेजना।
4. ग्राम पंचायत तथा खण्ड स्तर पर जो परियोजनायें चलाई जायें उनका निरीक्षण तथा निगरानी करना।
5. राज्य परिषद् इसके अतिरिक्त जो भी जिम्मेदारी सोंपे उनको निभाना।

### <u>(ख) ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां :</u>

1. योजना के तहत ग्राम सभा की अनुसंषाओं का ध्यान रखते हुए पंचायत की विकास योजना बनाना और संभावित कार्यों की सूची तैयार रखना।
2. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जो लोग काम करना चाहते हैं उनका पंजीकरण करना तथा उन्हें जॉब कार्ड देना।
3. काम के आवेदनों को प्राप्त करना तथा उन्हें ऐसी प्राप्ति रसीदें देना जिन पर तारीख लिखी गई हो।
4. आवेदकों के बीच रोजगार के अवसर आवंटित करना तथा उन्हें काम के लिए हाजिर होने की सूचना देना।

*<u>(क) खण्ड अधिकारी (कार्यकम अधिकारी) की जिम्मेदारियां</u>*

1. *यह सुनिश्चित करना कि हरेक आवेदक को योजना के प्रावधानों अनुरूप पन्द्रह दिनों की अवधि में अकुशल मजदूरी का काम मिले।*
2. *ग्राम पंचायतों तथा अन्य कियान्वयन एजेन्सियों द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्तावों को समेकित करते हुए खण्ड के लिए योजना बनाना।*
3. *रोजगार की मांग का, खण्ड में तैयार किये गये परियोजना प्रस्तावों से उभरे रोजगार के अवसरों से मेल बैठाना।*
4. *काम के आवेदन लेना और उनकी तारीख पड़ी हुई रसीद आवेदकों को देना (यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को भी बांटी गई है)।*
5. *आवेदकों को कामों पर हाजिर होने की सूचना देना। (यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को भी बांटी गई है)।*
6. *राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लगाये गये सभी मजदूरों को समय पर और उचित भुगतान करना।*
7. *बेरोजगारी भत्ते को स्वीकृत करना और उसका भुगतान करना।*
8. *ग्राम पंचायतों की परियोजनाओं को स्वीकृत करना।*
9. *खण्ड में ग्राम पंचायतों तथा अन्य कियान्वयन संस्थाओ द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की निगहबानी करना।*
10. *मास्टर रोल की प्रतियों की कॉपी उन लोगों के लिए तैयार रखना जिनकी उन्हें देखने में रूचि हो।*
11. *यह सुनिश्चत करना कि ग्राम सभा में सभी किये जा रहे कामों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण किया जाये।*
12. *शीघ्रता से (सात दिन के अंदर) योजना के कियान्वयन से जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा करना।*
13. *खण्ड में रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।*

5. जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, उनके नामों की सूची सूचना–पट्ट पर लगाना।
6. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन करना।
7. सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध करवाना।
8. पंचायत कार्यालय में मस्टर रोलों की एक प्रति जनता द्वारा निरीक्षण के लिये तैयार रखना।
9. योजना के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट बनाना।

**(ग) ग्राम सभा की जिम्मेदारियां :**

1. ग्राम पंचायत को परियोजनाओं की अनुशंसा करना और ग्राम पंचायत को "**विकास योजना**" तथा "**संभावित कार्यों की सूची**" के विषय में अपने सुझाव देना।
2. ग्राम पंचायत के दायरे में हुए कार्यों के क्रियान्वयन पर नजर रखना।
3. ग्राम पंचायत में लागू की गई सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करना।

## रोजगार गारन्टी योजना में मजदूरों को कार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया :

- प्रत्येक मजदूर जो कार्य करना चाहते हैं वे सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण करवायेंगे। यह पंजीकरण पांच वर्ष में सिर्फ एक बार ही करवाना होगा।
- प्रत्येक मजदूर को काम करने के लिए स्वयं को आवेदन देना होगा और यह आवेदन जितनी बार कार्य की जरूरत पड़े हर बार करना होगा।
- प्रत्येक परिवार को अपना पंजीकरण कराने हेतु पंचायत को अपना आवेदन करना होगा और पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वह पंजीकरण कर उसे एक जॉब कार्ड जारी करे।
- जॉब कार्ड ही यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूरों को कितने दिनों तक का कार्य मिला उन्हें कितना भुगतान किया गया। बेरोजगारी भत्ता कब और कितना प्राप्त हुआ यह सभी जानकारी कार्ड मे सुनिश्चित किया जायेगा।
- जॉब कार्ड भी 5 वर्ष के लिए मान्य होगा।
- कार्य प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ग्राम पंचायतों में या सीधे कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
- कार्य के लिए कब और कहां उपस्थित होना होगा, इसकी जानकारी ग्राम पंचायतें तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों के सूचना पट पर सार्वजनिक नोटिस लगा दिया जायेगा।

**नोट :**

**पंजीकरण की इकाई तो परिवार है जबकि काम का आवदेन व्यक्ति के नाम से दिये जायेंगे।**

**अगर किसी आवदेक की काम की सूचना दी जाती है, पर वह सूचना पाने के बाद 15 दिन की अवधि में काम के लिए हाजिर नहीं होता है, तो उसे अगले तीन माह तक के लिए काम से वंचित किया जायेगा।**

## रोजगार गारन्टी कानून के अन्तर्गत मजदूरों के भुगतान की प्रक्रिया :

- राज्य स्तर पर मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम् मजदूरी दिया जायेगा, जब तक कि केन्द्र सरकार इसे निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर कोई दूसरी मजदूरी दर की घोषणा न करे अगर केन्द्र सरकार मजदूरी दर की घोषणा करती है तो वह 60 रूपये से कम नहीं होगा।

- मजदूरी का भुगतान रूपयों या वस्तु दोनों ही तरह से किया जा सकेगा लेकिन पूरी मजदूरी का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा रूपयों में ही दिया जायेगा।
- मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह या किसी भी हाल में काम करने की तरीख से एक पखवाड़े के अंदर किया जायेगा साथ ही राज्य सरकार चाहे तो मजदूरी में नकद दी जाने वाली राशि का दैनिक भुगतान किया जा सकेगा।
- अगर मजूदरों को समय से भुगतान नहीं किया गया तो वेतन भुगतान कानून 1936 के अनुसार मुआवजा पाने का हक होगा।

**मजदूरी का दर स्त्रियों एवं पुरूषों के लिए एक ही होगा। लिंग आधारित भेद–भाव करने की यह कानून मनाही करता है।**

## मजदूरों के कार्यस्थल पर विशेष सुविधायें :

- जहाँ भी मजदूरों के लिए कार्य सुनिश्चित किया जायेगा वहाँ पर मजदूरों के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित सामग्री कार्य स्थल पर सुनिश्चित किया जायेगा। जैसे सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया, आराम करने का समय छोटी–मोटी दुर्घटनाओं और काम से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के लिए सामग्री उपलब्ध रहेगा।
- इस कानून में विशेष रूप से यह सुविधा दिया गया है कि अगर किसी कार्यस्थल पर पाँच या उससे अधिक संख्या में ऐसी औरतें काम कर रही हों और उनके पास 6 साल से कम उम्र के बच्चे उनके साथ आयें तो उनमें से एक महिला मजदूर को छोटे बच्चों की देख–भाल का कार्य सौंपा जायेगा और उसे शेष मजदूरों के समान ही मजदूरी पाने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक मजदूर को वही कार्य करना होगा जो उन्हें ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सौंपा जायेगा।

**प्रत्येक मजदूर को आवेदन स्थल से अधिकतम् 5 कि.मी. के अन्दर ही काम उपलब्ध करवाया जायेगा लेकिन अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है तो उसे 5 कि.मी. से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराने पर न्यूनतम् मजदूरी से 10 प्रतिशत राशि अधिक देना अनिवार्य होगा।**

## बेरोजगारी भत्ता :

- ग्राम पंचायत में पंजीकृत जो भी व्यक्ति आवेदन करें उसे 15 दिन की अवधि तक काम उपलब्ध नहीं करवाया जा सका तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
- बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम् मजदूरी का एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम् मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा।
- पंजीकरण अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कम से कम दो गवाहों के समक्ष किया जायेगा। साथ ही गवाहों तथा भत्ता प्राप्त करने वाले आवेदक के हस्ताक्षर प्रारूप में प्राप्त करना होगा। इस सभी का साक्ष्य कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- रोजगार प्राप्त करने के लिए ओवदन के साथ बेरोजगार भत्ता पाने का आवेदन भी साथ में लगाना होगा।
- रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में आवदेक को सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे तभी उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा।
- सभी आवदेन पत्रों की जाँच कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह जब आश्वस्त हो जायेगा कि आवेदन विधिवत् पंजीकृत है और वह बेरोजागारी भत्ता पाने का हकदार है तब वह बेरोगारी

भत्ता देने हेतु पंजीकरण अधिकारी को निर्देशित करेगा लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को 10 दिन के अंदर पूरा करना अनिवार्य है।

**यदि किसी कारणवश ग्राम सभा रोजगार उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाती है तो वह प्राप्त आवेदन के बारे में 3 दिन के अन्दर कार्यक्रम अधिकारी को अवगत करायेंगे एवं उसकी प्रतिलिपि जिला समन्वयक को भी दी जायेगी अगर कार्यकम अधिकारी भी रोजागर उपलब्ध कराने में अपने का असमर्थ पाते हैं तो उन्हें 3 दिन के अन्दर जिला समन्वयक को सूचित करना पड़ेगा।**

## बेरोजगारी भत्ता कब नहीं दिया जायेगा :

- वह व्यक्ति जिसने कार्य के लिए आवेदन किया है और वह या उसके परिवार का कोई भी सदस्य कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं प्राप्त होगा।

## निम्नलिखित स्थिति में बेरोजागरी भत्ता नहीं दिया जायेगा

- अगर भत्ता पाने वाले को ग्राम पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी उसे कार्य पर पहुंचने की सूचना दे दे।
- वह अवधि खत्म हो जाये जिसके लिए उसने रोजगार की माँग की थी।
- भत्ता पाने वाले व्यक्ति का किसी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के काम को कोटा समाप्त हो जाये।
- उस परिवार को किसी एक वित्तीय वर्ष में रोजगार का भुगतान और बेरोजगारी भत्ता मिलाकर उतनी राशि प्राप्त हो जाये जो 100 दिन के काम से प्राप्त हो सकती है।

## रोजगार गारन्टी योजना के कार्यस्थल पर शारीरिक नुकसान होने पर विशेष सुविधा :

- अगर कोई मजदूर कार्य के दौरान किसी भी तरह के दुर्घटना से घायल होता है तो उसे योजना के तहत स्वीकृत निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराया जायेगा।
- अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो उसे अस्पताल में रहने व उपचार से संबंधित सभी खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। साथ ही, प्रतिदिन के मजदूरी का आधा पैसा भी उसे प्राप्त होगा।

## अगर कार्य स्थल पर किसी मजदूर की मौत हो जाये या अपंग हो जाये तो निम्न धनराशि देय होगी

- कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 25000/-
- स्थायी या पूर्ण अपंग होने पर 25000/-
- हाथ–पैर या आँख अक्षम होने पर 15000/-
- एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर 10000/-

**नोट : यह धनराशि मृत्यु होने पर उसके घोषित उत्तराधिकारी को तथा अस्थाई अपंगता की स्थिति में स्वयं को उपलब्ध कराया जायेगा।**

## रोजगार गारन्टी कानून में महिलाओं की प्राथमिकता :

- इस कानून में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी कुल काम जितने लोगों को मिलेगा उसमें एक तिहाई संख्यायें महिलाओं की होगी। यानी एक गांव में अगर 100 लोगों को रोगार दिया जाता है तो उसमें 33 महिलाओं की संख्या होगी।
- जहाँ पर कार्य चल रहा हो वहाँ पर महिलाओं के साथ आने वाले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जिनकी संख्या 5 से अधिक न हो उनके लिए झूलाघर बनाया जायेगा। बच्चों के लिए पानी व अन्य सुविधायें उपलब्ध होंगी।

**नोट : इस कानून के माध्यम से महिलाओं को इस आधार पर वंचित नहीं किया गया है कि आपके बच्चे छोटे हैं बल्कि कानून उनहें भी प्रोत्साहित करता है।**

## ठेकेदारी प्रथा के साथ–साथ मशीनों पर प्रतिबंध :

- रोजगार गारन्टी कानून इस पूरी व्यवस्था के संचालन में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया है, साथ ही स्थानीय स्तर पर बनाये गये किसी भी योजना के क्रियान्वयन में मशीनों का उपयोग पर भी प्रतिबन्ध होगा। यह कानून सिर्फ मजदूरों के हकों एवं उसके अधिकारों को ही संरक्षित करता है।

## रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्रमुखता के आधार पर किये जाने वाले कार्य :

- **रोजगार गारन्टी योजना में काम की आठ श्रेणियों को शामिल किया गया है।**
- जल संरक्षण व जल संग्रहण
- अकाल से बचाव, वृक्षारोपण, वनरोपण
- सिंचाई हेतु नहर एवं सूक्ष्म व लघु सिंचाई के कार्य
- भूमि सुधार या इंदिरा आवास योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी परिवारों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाने वाले कार्य
- परम्परागत जल स्रोतों का नवीनीकरण एवं पोखरों तालाबों की मिट्टी हटाना
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्रण व बचाव के कार्य जिसमें पानी जमा होने वाले इलाकों से पानी निकास की व्यवस्था भी शामिल है।
- ग्रामीण इलाकों के जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण
- इसके साथ कानून यह भी कहता है कि प्राथमिकता पर किये जाने वाले वरीयता कार्यों की सूची राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा बनाई जायेगी।

**नोट : नये कार्य केवल तभी प्रारम्भ हो सकेंगे जब कम से कम 50 मजदूर ऐसे काम के लिए उपलब्ध होंगे साथ ही, इन मजदूरों को अन्य चल रहे कामों में नहीं खपाया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार पहाड़ी इलाकों में तथा वनीकरण के प्रयासों से संबंधित मामलों में इसे परिवर्तित कर सकती है।**

## रोजगार गारन्टी कानून के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच धन का बंटवारा :

- केन्द्र सरकार को रोजगार गारंटी योजना में लगाये गये सभी मजदूरों का पूरा भुगतान और सामग्री पर आने वाला खर्च का तीन चौथाई भाग देना है। जबकि राज्य सरकार को सामग्री के खर्च की एक चाथाई राशि और बेरोजागारी भत्ते के लिए वित्त देना है।
- लेकिन मजदूरी+सामग्री का अनुपात 60:40 है, तो राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने पर आने वाले कुल खर्च का मात्र 10 प्रतिशम और बेरोजगारी भत्ता चुकायेगी।

## रोजगार गारन्टी कानून और रोजगार गारन्टी योजना में अन्तर :

- रोजगार गारंटी कानून सभी राज्य सरकारेंा को निर्देशित करता है कि वे आगामी ६ माह के अंदर एक रोजगार गारंटी योजना बनाये ताकि गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके यह अधिनियम ही वह कानूनी आधारशिला उपलब्ध करवाता है जिस पर रोजागार की गारंटी टिकी है और योजना एक माध्यम है जिसके जरिये यह गारन्टी प्रभाव में आती है।

**नोट : कानून एक राष्ट्रीय कानून है जबकि योजनायें राज्यों के आवश्यकतानुसार बनायी जाती है।**

## रोजगार गारन्टी कानून में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय :

- रोजागर गारन्टी कानून में यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर केन्द्र सरकार को अनुदान के दुरूपयोग की शिकायत मिलती है जॉच करने के बाद वह साबित हो जाये तो वह योजना के लिए वित्तीय अनुदान को रोकने का आदेश दे सकती है।

## योजना में पारदर्शिता व जवाबदेही की व्यवस्था :

ग्राम सभा के स्तर पर

- कार्यक्रम की देख–रेख करने के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय को शामिल करने के लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय निगरानी एवं सतर्क समितियों का गठन किया जायेगा।
- क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम स्तरीय सकर्तता एवं मूल्यांकन समिति को कार्य का स्वरूप समय सीमा एवं गुणवत्ता के मापदण्डों से अवगत करायेंगी।
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक कार्य की निगरानी की जायेगी।
- प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड उपलब्ध होगा।
- जॉब कार्ड के आधार पर रोजगार की मांग करने वाले आवेदकों को रोजगार मिल सके तथा ग्राम सभा द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया जॉब कार्ड का वितरण तथा मजदूरी के निर्धारित समय पर भुगतान की प्रक्रिया की भी समीक्षा किया जायेगा।

**नोट : रोजगार से संबंधित सभी दस्तावेजों को जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना**

- हरेक व्यक्ति को इन दस्तावेजों की प्रति पाने का हक होगा, इसके लिए कम से कम शुल्क अदा करना होगा।
- ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों में उल्लिखित शुल्क देकर मास्टर रोल की प्रतियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।
- ग्राम पंचायत सभी संबंधित दस्तावेज (मास्टर रोल, बिल, वाउचर, नाप–जोख का खाता स्वीकृति आदेशों की प्रतियां व अन्य हिसाब–किताब और दस्तावेज) ग्राम सभा को उपलब्ध करायेगी ताकि वह इनका सामाजिक अंकेक्षण कर सकें।

## रोजगार गारन्टी कानून के अर्न्तगत शिकायत एवं समाधान की प्रकिया :

- स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रोजागार उपलब्ध न कराने पर
- बेरोजगार भत्ता का भुगतान समय से न होने पर
- कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव होने पर
- मशीनों एवं ठेकेदारों का उपयोग होने पर
- महिलाओं के साथ भेदभाव होने पर

जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से सभी सबूतों के साथ किया जायेगा और समुचित जाँच के बाद कार्यवाही की जायेगी।

- जिला पंचायत जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरूद्ध योजना के क्रियान्वयन संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त जाँच करेंगे।

## रोजगार गारन्टी योजना का आडिट :

- योजना के अन्तर्गत सभी कार्यों के वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है और यह वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक जिले द्वारा किया जायेगा।

## सामाजिक अंकेक्षण :

- प्रत्येक कार्य का सम्पादन अनुश्रवण प्रगति तथा गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा समिति का कार्यक्षेत्र सम्पादित किये जाने वाले कार्यस्थल से संबंधित ग्राम होगा।
- ग्राम सभा के प्रत्येक त्रैमास बैठक में रोजगार की मांग पंजीयन जॉब कार्ड कार्य पर कार्यरत लोगों की सूची अथवा ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रोजागार प्राप्त नहीं हुआ है किये गये भुगतान की राशि, अकुशल मानव श्रम पर किये गये भुगतान कार्य पूर्ण करने में लगा समय कुशल श्रमिक, सामग्री सृजित मानव दिवस के सभी प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

## इस कानूनी अधिकार के लिए स्थानीय स्तर पर रखा जाने वाला दस्तावेज

1. **जॉब कार्ड रजिस्टर :** प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें जिन व्यक्तियों का पंजीयन होगा उसकी सूचना दर्ज होगी।
2. **रोजगार की मांग के लिए रजिस्टर :** प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें रोजगार प्राप्त करने वाले आवेदकों की जानकारी रखी जायेगी।
3. **रोजगार रजिस्टर :** प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर बनाया जायेगा। जिसके प्रत्येक व्यक्ति को काम करने वाली एजेंसी द्वारा दिये गये रोजगार की जानकारी रखी जायेगी।
4. **परिसम्पत्ति रजिस्टर :** काम कराने वाली एजेंन्सी द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें स्वीकृत किये गये कार्य, क्रियान्वित किये गये कार्य, पूरे किये गये कार्य का विस्तार से विवरण लिखा जायेगा।
5. **मास्टर रोल :** प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेंसी मास्टर रोल बनायेगी जिसमें काम करने वाले व्यक्ति का नाम जॉब कार्ड क्रमांक, उपस्थिति/अनुपस्थिति की तारीख, भुगतान की गई राशि, दिये गये अनाज का विवरण तथा प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशानी ली जायेगी।
6. **शिकायत पुस्तिका :** प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय मे तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में एक शिकायत पुस्तिका रखा जायेगा, जिसमें योजना से संबंधित

शिकायतों को दर्ज किया जायेगा। जिससे शिकायतों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि में किया जा सके।

7. **बेरोजगारी का रजिस्टर :** प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक बेरोजगारी भत्ता का रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें आवेदनकर्ता का नाम, पंजीयन क्रमांक, बेरोजगारी भत्ता, स्वीकृति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान की राशि एवं तिथि का उल्लेख होगा, ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक माह उक्त विवरण विवरण जनपद पंचायत को उपलब्ध करायेगी। जहाँ पर जनपद स्तरीय जानकारी संकलित किया जायेगा।

8. भुगतान रजिस्टर : प्रतयेक ग्राम पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा एक भुगतान रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें सभी स्तरों पर किये भुगतान का विवरण दर्ज किया जायेगा।

**कार्यस्थल पर निरीक्षण पुस्तिका :** प्रत्येक कार्यस्थल पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका तैयार किया जायेगा जिसमें सभी तरह की जानकारी दर्ज की जायेगी।

# राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005
# में
# स्वैच्छिक संस्थाओं/नागर समाज संगठनों की भूमिका

# पृष्ठभूमि

स्वतंत्र भारत के विकासी लक्ष्यों एवं योजनाओं का मूल्यांकन किया जाये तो हम लोग यह पाते हैं कि देश में 58 वर्षों में कई तरह की बहुआयामी योजनाओं की शुरूआत किया गया। सभी का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने या उसमें बदलाव लाने के लक्ष्यों को इंगित करता रहा है लेकिन इन सभी योजनाओं का परिणाम अंत में हास्यास्पद ही रहा। **इन योजनाओं को लागू कराने वालों के जीवन स्तर में जबरदस्त बदलाव आया लेकिन जिनके लिये योजना चलाई गई वे वहीं छूट गये। इन सभी परिणामों से आहत होकर नागरिक हितों को लेकर कार्य करने वाले नागर समाज संगठनों के लम्बे संघर्ष के बाद पहली बार भारत में रोजगार पाना एक संवैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है।** लेकिन यह अधिकार पूर्व के प्राप्त अधिकारों जैसे ही न रह पाये इसके लिए नागर समाज संगठनों को आगे आना होगा उन्हें इस कानूनी अधिकार को प्राप्त करने व कराने में लोगों की मदद करनी होगी। तभी यह व्यवहारिक हो सकता है। **सामाजिक विकास का कोई भी कार्यक्रम नियमों एवं कानूनों तथा सरकारी मशीनरी द्वारा नहीं चलाया ला सकता क्योंकि इस तरह की योजनाओं का सफल कियान्वयन सिर्फ सामुदायिक भावना तथा सामाजिक सहभागिता के द्वारा ही किया जा सकता है,** और यह भावना सिर्फ नागर समाज संगठनों में ही फिलहाल देखा जा सकता है हलांकि सरकारी मशीनरी से इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल का अनुभव यही है। नागर समाज संगठनों को भी अपनी बुनियादी सोच में बदलाव लाकर इसे एक अभियान की तरह चलाना होगा। इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाये तथा इसके प्राविधानों के कियान्वयन स्तर का विधिवत् अनुश्रवण हो और यह कार्य सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध स्वैच्छिक संगठनों एवं नागर समाज संगठनों के सक्रिय योगदान से ही संभव है।

इस कानूनी अधिकार के व्यवहारिक पहलू को समझें तो मुख्य रूप से इसे अंतिम स्वरूप देने में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उ.प्र. में 73 वां संविधान संशोधन के बाद तीसरी बार पंचायतों का गठन किया गया है। पिछले दो कार्यकालों का जो अनुभव रहा है उसमें बिना बदलाव लाये यह अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजना प्रस्ताव तैयार करने लगेंगी? लोगों को स्थानीय संसाधनों के प्रति जागरूक कर पायेगी? इसके लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य नागर समाज संगठनों को करना है वह पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करना और यह कार्य सरकारी महकमों द्वारा नहीं किया जा सकता। **पिछले 10 वर्षों में जिन क्षेत्रों में नागर समाज संगठनों द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के सशक्तीकरण के लिए कार्य किया गया है। निश्चित रूप से उन ग्राम पंचायतों में थोड़ी सहजता होगी क्योंकि नागर समाज संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर कैसे योजना का निर्माण किया जायेगा इस प्रकिया पर समझ विकसित किया गया था।**

**इस कार्य हेतु स्वैच्छिक संगठन ग्राम पंचायतों को निम्न तरह से सहयोग कर सकते हैं :**

- ग्राम पंचायत के पुरवों/मजरों की आवश्यक जानकारी (जिसमें बेरोजगारों की स्थिति, काम की उपलब्धता) इकट्ठा कराने में ग्राम पंचायतों का सहयोग।
- ग्राम पंचायत के सभी पुरवों या मजरों में किस तरह के विकास की आवश्यकता है इसकी पहचान कराने में सहयोग।
- सभी मजरों या पुरवों की विकासीय कार्यों के प्राथमिकीकरण मे सहयोग।
- सभी मजरों या पुरवों की समस्याओं, आवश्यकताओं का संकलन और पंचायत स्तर पर प्राथमिकीकरण कराने में सहयोग।
- संसाधनों का अनुमान (पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए) एवं बजट के निर्धारण में सहयोग।
- योजना का अंतिम स्वरूप सुनिश्चित कराने में सहयोग।
- पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रखे जाने वाले सभी दस्तावेजों के रख–रखाव में सहयोग।

वर्तमान परिस्थिति कई मायने में अनुकूल है क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं जिनमें प्रतिनिधि भी नये हैं और इस योजना की शुरूआत भी फरवरी 2006 से हो गई है। ऐसे में नागर समाज

संगठनों को अपनी पूरी ताकत पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने में लगाना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम निम्न कार्य की आवश्यकता है।

- नई पंचायतीराज व्यवस्था की सामान्य एवं विस्तृत जानकारियों की उपलब्धता के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करना।
- स्थानीय स्तर के संसाधनों की उपलब्धता पर लोगों को जागरूक करना।
- पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण कर सकें इसके लिए पहल करना और उसे व्यवहारिक करने में सहयोग करना।
- नागर समाज संगठनों के सभी कार्य चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वयं सहायता समूह हो सभी की सफलता में पंचायत की भूमिका का महत्व देना।
- पंचायतों के प्रतिनिधियों को अपने कार्यों एवं दायित्वों के प्रति संवेदित करना।
- ग्राम सभा के लोगों को संवेदित एवं जागरूक करना।

**1. रोजगार गारंटी अधिनियम के प्राविधानों के जन सामान्य की जागरूकता :**

- इस कानून की सामान्य जानकारी तो दूर रही अभी उच्च स्तर पर अधिनियमों के प्राविधानों की जानकारी नहीं है। क्रियान्वयन ईकाइयों द्वारा रूचि अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। उच्च स्तर पर अभी भ्रम की स्थिति बनी है कि यह अधिनियम केवल गरीब परिवारों को ही रोजगार प्रदान करेगा। अतएव अधिनियम के प्राविधानों के प्रति जागरूकता और सतर्कता वृद्धि हेतु स्वैच्छिक संगठनों के निम्न भूमिका हो सकती है।
- अधिनियम के प्राविधानों से लाभान्वित होने वाले समूह के बीच स्थानीय भाषा में अधिनिमय की जानकारी उपलब्ध कराना।
- अधिनियम की भाषा न समझ पाने वालों के लिए मुख्य धाराओं का प्रश्न उत्तर के रूप में प्रकाशन।
- पोस्टर एवं हैण्डबिल के माध्यम से जानकारी।
- ग्राम स्तर पर विचार गोष्ठियां आमंत्रित करना।

**2. कार्यक्रम नियोजन स्तर पर :**

- ग्राम स्तर पर रोजगार की स्थिति का आंकलन।
- स्थानीय स्तर पर सही योजना का निर्माण में सहयोग।
- स्थानीय सतर पर बेरोजगार लोगों की सही जानकारी।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का आंकलन एवं उसे सही रूप में रोजगार सृजन लायक बनाना।

*नोट : यदि स्थानीय संसाधनों का सही स्थिति का आंकलन नहीं होगा तो वांछित रोजगार एवं धनराशि का आंकलन नहीं किया जा सकता।*

**3. क्रियान्वयन के स्तर पर :**

- रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति का अनुश्रवण एवं सहयोग।
- भुगतान प्रणाली का अध्ययन।

- रोजागार के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में ग्राम पंचायतों का संवेदीकरण।
- रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का आंकलन।
- किसी प्रकार के गतिरोध की स्थिति में ग्राम पंचायतों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनमानस का संवेदीकरण।

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के संबंध में सुझाव

- संयुक्त परिवार छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का है। बड़े परिवार के केवल एक व्यक्ति को रोजगार देने से परिवार का समुचित भरण–पोषण नहीं हो सकता। रोजगार पाने वाला व्यक्ति यदि मजदूरी की रकम अपने लिए खर्च करेगा तो परिवार में झगड़े एवं बंटवारे शुरू हो सकते हैं तथा संयुक्त परिवार का अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा, अतः आवश्यक है कि परिवार की सदस्य संस्था के हिसाब से रोजगार देने के लिए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार मापदण्ड निर्धारित किया जाये।
- दण्ड का जो भी प्राविधान किया गया है उसका शक्ति से पालन किया जायेगा तभी यह व्यवहारिक हो सकता है।
- अभी तक की जो योजनायें गरीबी हटाओ अभियान के अन्तर्गत चलाया गया उन सबका कार्यालय के बाबू, बिचौलिये, नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी और और राजनीतिज्ञों द्वारा ध हड़प लिये जाने के कारण योजनायें पिष्प्रभावी रहीं। इस योजना में ऐसा न हो इसलिए सरकारी तंत्र तथा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को निगरानी रखने की निरन्तर आवश्यकता है। अन्यथा भ्रष्टाचार का दानव इस योजना को भी निष्फल कर देगा।
- रोजगार कार्ड की दो प्रतियां बनाया जाये, मजदूर के पास हो तथा दूसरा कार्य स्थल पर।
- सभी मजदूरों की हाजिरी मास्टर रोल पर न ही जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में की भी जाती है तो वास्तविक हाजरी और भुगतान उसमें दर्ज किये जाने की व्यवस्था हो।
- निगरानी समिति में व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो तथा वे लोग शिक्षित तथा समझदार हों। महिला पुरूष तथा आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि निगरानी समिति में सम्मिलित किया जाये।
- मजदूरी/बेरोजगारी भत्ते का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाने की व्यवस्था हो।
- गांव में उपलब्ध प्राकँतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाये तथा ऐसे कार्य प्रस्तावित किये जाये जो भविष्य में निरन्तर रोजगार का सृजन कर सकें जैसे तालाब की खुदाई पानी का प्रबंध मत्स्य पालन या अन्य फसल जो स्थानीय स्तर पर उगाये जा सकते हैं।

हमारा विश्वास है कि ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून न केवल ग्रामीण श्रमिकों को शहरों की तरफ पलायन रोकेगा वरन् वर्तमान ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भी भूमिका निभायेगा। हमसभी **नागर समाज संगठन ग्रामीण जनता के लिए बने एक सशक्त कानून जो उनकी आजीविका को सुनिश्चित करता है उसको जमीन पर उतारते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाये, हम लोगों की लड़ाई हर हाथ को काम, एवं काम का पूरा दाम अधिकार प्राप्त होने तक जारी रहेगा।**

## राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में स्वैच्छिक संस्थाओं/नागर समाज संगठनों की भूमिका :

स्वतंत्र भारत के विकासी लक्ष्यों एवं योजनाओं का मूल्यांकन किया जाये तो हम लोग यह पाते हैं कि देश में 58 वर्षों में कई तरह की बहुआयामी योजनाओं की शुरूआत किया गया। सभी का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने या उसमें बदलाव लाने के लक्ष्यों को इंगित करता रहा है लेकिन इन सभी योजनाओं का परिणाम अंत में हास्यास्पद ही रहा। **इन योजनाओं को लागू कराने वालों के जीवन स्तर में जबरदस्त बदलाव आया लेकिन जिनके लिये योजना चलाई गई वे वहीं छूट गये। इन सभी परिणामों से आहत होकर नागरिक हितों को लेकर कार्य करने वाले नागर समाज संगठनों के लम्बे संघर्ष के बाद पहली बार भारत में रोजगार पाना एक संवैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है।** लेकिन यह अधिकार पूर्व के प्राप्त अधिकारों जैसे ही न रह पाये इसके लिए नागर समाज संगठनों को आगे आना होगा उन्हें इस कानूनी अधिकार को प्राप्त करने व कराने में लोगों की मदद करनी होगी। तभी यह व्यवहारिक हो सकता है। **सामाजिक विकास का कोई भी कार्यक्रम नियमों एवं कानूनों तथा सरकारी मशीनरी द्वारा नहीं चलाया ला सकता क्योंकि इस तरह की योजनाओं का सफल कियान्वयन सिर्फ सामुदायिक भावना तथा सामाजिक सहभागिता के द्वारा ही किया जा सकता है,** और यह भावना सिर्फ नागर समाज संगठनों में ही फिलहाल देखा जा सकता है हलांकि सरकारी मशीनरी से इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल का अनुभव यही है। नागर समाज संगठनों को भी अपनी बुनियादी सोच में बदलाव लाकर इसे एक अभियान की तरह चलाना होगा। इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाये तथा इसके प्राविधानों के क्रियान्वयन स्तर का विधिवत् अनुश्रवण हो और यह कार्य सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध स्वैच्छिक संगठनों एवं नागर समाज संगठनों के सक्रिय योगदान से ही संभव है।

इस कानूनी अधिकार के व्यवहारिक पहलू को समझें तो मुख्य रूप से इसे अंतिम स्वरूप देने में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उ.प्र. में 73 वां संविधान संशोधन के बाद तीसरी बार पंचायतों का गठन किया गया है। पिछले दो कार्यकालों का जो अनुभव रहा है उसमें बिना बदलाव लाये यह अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजना प्रस्ताव तैयार करने लगेंगी? लोगों को स्थानीय संसाधनों के प्रति जागरूक कर पायेगी? इसके लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य नागर समाज संगठनों को करना है वह पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करना और यह कार्य सरकारी महकमों द्वारा नहीं किया जा सकता। **पिछले 10 वर्षों में जिन क्षेत्रों में नागर समाज संगठनों द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के सशक्तीकरण के लिए कार्य किया गया है। निश्चित रूप से उन ग्राम पंचायतों में थोड़ी सहजता होगी क्योंकि नागर समाज संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर कैसे योजना का निर्माण किया जायेगा इस प्रकिया पर समझ विकसित किया गया था।**

वर्तमान परिस्थिति कई मायने में अनुकूल है क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं जिनमें प्रतिनिधि भी नये हैं और इस योजना की शुरूआत भी फरवरी 2006 से हो गई है। ऐसे में नागर समाज संगठनों को अपनी पूरी ताकत पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने में लगाना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम निम्न कार्य की आवश्यकता है।

- नई पंचायतीराज व्यवस्था की सामान्य एवं विस्तृत जानकारियों की उपलब्धता के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करना।
- स्थानीय सतर के संसाधनों की उपलब्धता पर लोगों को जागरूक करना।
- पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण कर सकें इसके लिए पहल करना और उसे व्यवहारिक करने में सहयोग करना।

- नागर समाज संगठनों के सभी कार्य चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वयं सहायता समूह हो सभी की सफलता में पंचायत की भूमिका का महत्व देना।
- पंचायतों के प्रतिनिधियों को अपने कार्यों एवं दायित्वों के प्रति संवेदित करना।
- ग्राम सभा के लोगों को संवेदित एवं जागरूक करना।

**4. रोजगार गारंटी अधिनियम के प्राविधानों के जन सामान्य की जागरूकता :**

- इस कानून की सामान्य जानकारी तो दूर रही अभी उच्च स्तर पर अधिनियमों के प्राविधानों की जानकारी नहीं है। कियान्वयन ईकाइयों द्वारा रूचि अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। उच्च स्तर पर अभी भ्रम की स्थिति बनी है कि यह अधिनियम केवल गरीब परिवारों को ही रोजगार प्रदान करेगा। अतएव अधिनियम के प्राविधानों के प्रति जागरूकता और सतर्कता वृद्धि हेतु स्वैथ्च्दक संगठनों के निम्न भूमिका हो सकती है।
- अधिनियम के प्राविधानों से लाभान्वित होने वाले समूह के बीच स्थानीय भाषा में अधिनिमय की जानकारी उपलब्ध कराना।
- अधिनियम की भाषा न समझ पाने वालों के लिए मुख्य धाराओं का प्रश्न उत्तर के रूप में प्रकाशन।
- पोस्टर एवं हैण्डबिल के माध्यम से जानकारी।
- ग्राम स्तर पर विचार गोष्ठियां आमंत्रित करना।

**5. कार्यकम नियोजन स्तर पर :**

- ग्राम स्तर पर रोजगार की स्थिति का आंकलन।
- स्थानीय स्तर पर सही योजना का निर्माण में सहयोग।
- स्थानीय सतर पर बेरोजगार लोगों की सही जानकारी।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का आंकलन एवं उसे सही रूप में रोजगार सृजन लायक बनाना।

*नोट : यदि स्थानीय संसाधनों का सही स्थिति का आंकलन नहीं होगा तो वांछित रोजगार एवं धनराशि का आंकलन नहीं किया जा सकता।*

**6. कियान्वयन के स्तर पर :**

- रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति का अनुश्रवण एवं सहयोग।
- भुगतान प्रणाली का अध्ययन।
- रोजागार के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में ग्राम पंचायतों का संवेदीकरण।
- रोजगार कार्यकम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का आंकलन।
- किसी प्रकार के गतिरोध की स्थिति में ग्राम पंचायतों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनमानस का संवेदीकरण।

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के संबंध में सुझाव

- संयुक्त परिवार छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का है। बड़े परिवार के केवल एक व्यक्ति को रोजगार देने से परिवार का समुचित भरण–पोषण नहीं हो सकता। रोजगार पाने वाला व्यक्ति यदि मजदूरी की रकम अपने लिए खर्च करेगा तो परिवार में झगड़े एवं बंटवारे शुरू हो सकते हैं तथा संयुक्त परिवार का अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा, अतः आवश्यक है कि परिवार की सदस्य संस्था के हिसाब से रोजगार देने के लिए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार मापदण्ड निर्धारित किया जाये।
- दण्ड का जो भी प्राविधान किया गया है उसका शक्ति से पालन किया जायेगा तभी यह व्यवहारिक हो सकता है।
- अभी तक की जो योजनायें गरीबी हटाओ अभियान के अन्तर्गत चलाया गया उन सबका कार्यालय के बाबू, बिचौलिये, नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी और और राजनीतिज्ञों द्वारा ध हड़प लिये जाने के कारण योजनायें निष्प्रभावी रहीं। इस योजना में ऐसा न हो इसलिए सरकारी तंत्र तथा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को निगरानी रखने की निरन्तर आवश्यकता है। अन्यथा भ्रष्टाचार का दानव इस योजना को भी निष्फल कर देगा।
- रोजगार कार्ड की दो प्रतियां बनाया जाये, मजदूर के पास हो तथा दूसरा कार्य स्थल पर।
- सभी मजदूरों की हाजिरी मास्टर रोल पर न ही जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में की भी जाती है तो वास्तविक हाजरी और भुगतान उसमें दर्ज किये जाने की व्यवस्था हो।
- निगरानी समिति में व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो तथा वे लोग शिक्षित तथा समझदार हों। महिला पुरूष तथा आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि निगरानी समिति में सम्मिलित किया जाये।
- मजदूरी/बेरोजगारी भत्ते का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाने की व्यवस्था हो।
- गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाये तथा ऐसे कार्य प्रस्तावित किये जाये जो भविष्य में निरन्तर रोजगार का सृजन कर सकें जैसे तालाब की खुदाई पानी का प्रबंध मत्स्य पालन या अन्य फसल जो स्थानीय स्तर पर उगाये जा सकते हैं।

हमारा विश्वास है कि ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून न केवल ग्रामीण श्रमिकों को शहरों की तरफ पलायन रोकेगा वरन् वर्तमान ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भी भूमिका निभायेगा। हमसभी **नागर समाज संगठन ग्रामीण जनता के लिए बने एक सशक्त कानून जो उनकी आजीविका को सुनिश्चित करता है उसको जमीन पर उतारते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाये, हम लोगों की लड़ाई हर हाथ को काम, एवं काम का पूरा दाम अधिकार प्राप्त होने तक जारी रहेगा।**

**अशोक भाई**

शासनादेश

संख्या G.I.-289/38-4-05 एनआरईजी/05

प्रेषक,
के.के. सिन्हा
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी

आजमगढ़, बाँदा, बाराबंकी, चन्दोली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, महोबा, मीरजापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2006

विषय : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजागार के इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष में कम से कम 100 दिन के श्रमपरक रोजगार की गारण्टी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम–05 पारित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार के इच्छुक श्रमिक द्वारा मांगे जाने पर 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लागू होने पर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का इसमें संविलियन हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 संलग्नक–1 के रूप में तथा भारत सरकार से प्राप्त अनन्तिम मार्ग–निर्देश संलग्नक – 2 के रूप में तथा नेश्नल फूड फॉर वर्क एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के संविलियन की प्रक्रिया विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.12.05 संलग्नक–3 के रूप में अवलोकनीय है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के इसी वित्तीय वर्ष में लागू होने पर निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी :–

(i.) अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार मांग के आधार पर मजदूरों के पंजीकरण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये। जाब कार्ड, रोजगार रजिस्टर आदि का प्रारूप मार्ग–निर्देश के साथ संलग्न है।

(ii.) रोजगार मांग की पूर्ति सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/नेशनल फूड फॉर वर्क कार्यक्रम से की जायेंगी। इस हेतु इन्हीं दोनों योजनाओं की धनराशि का प्रयोग किया जायेगा। यदि किसी श्रमिक के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार की मांग की जाती है और उन्हें रोजगार दिया जाता है, तो इसका लेखा–जोखा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार रखा जायेगा और उसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यों में सम्मिलित किया जायेगा। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार उन कार्यों की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू करने की अधिसूचना जारी करेंगी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/नेशनल फूड फॉर वर्क कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना/पर्सपेक्टिव प्लॉन को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एक्ट के लिए माना जायेगा।

(iii.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के ऐसे 07 जनपद जो फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम वाले जनपदों के अतिरक्त हैं, ऐसे जनपदों को नेशनल फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम के पैटर्न पर पृथक से अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी।

(iv.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सभी 22 जनपदों को जाब कार्ड, रजिस्टर प्रिटिगं, रजिस्ट्रेशन प्रासेस आदि हेतु रूपया 25.00 लाख की धनराशि दी जायेगी।

(v.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना/ नेशनल फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम के मांग के आधार पर रोजगार हेतु कार्यों का आंकलन नहीं किया गया है। वहां पर कार्यों का आंकलन उस क्षेत्र की आधार भूत संरचना के आधार पर किया जायेगा। जबकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना/ नेशनल फ़ूड फॉर वर्क के कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एक्ट में सम्मिलित किया गया है, तो वहां के श्रमिकों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एक्ट मे सम्मिलित माना जायेगा, किन्तु इस हेतु रजिस्ट्रेशन, जाब कार्ड एवं डिमाण्ड प्रोसेस का पालन करना होगा। इस संविलियन काल में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना/ नेशनल फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम में सृजित होने वाले रोजगार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तभी माना जायेगा, जबकि रजिस्ट्रेशन डिमाण्ड प्रोसेस एवं प्रारम्भिक आवश्यकतायें पूर्ण हो जायें। एक ही श्रकि को उसी कार्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना/ नेशनल फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम में कार्य नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार की विभिन्नता में कुछ परिवारों को 100 दिन से अधिक का रोजगार प्रदान करना होगा।

(vi.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में मजदूरी के रूप में केवल नकद भुगतान दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी अंश के रूप में खाद्यान्न नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न की वैधता अवधि इस वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायेगी।

(vii.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना/नेशनल फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम के यदि कुछ कार्य अवशेष रह जाते हैं, तो उपलब्ध धनराशि से अपूर्ण कार्योंग को दिनांक 30 जून 2006 तक पूर्ण कर लिया जाये।

(viii.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की भांति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम मे भी 50 प्रतिशत कार्य लाईन डिपार्टमेण्ट एवं अन्य पंचायतों द्वारा कराये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के संसाधनों का 20 प्रतिशत जिला पंचायत, 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत को आवंटन की प्रक्रिया है। इस अधिनियम में भी आवंटन की यही भावना है कि पंचायतों को प्राथकिता दी जाये। नेशनल फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम की कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कार्यदायी संस्थायें हो सकती हैं। इस वित्तीय वर्ष में यदि स्वीकृत 50 प्रतिशत कार्यों की कार्यदायी संस्थायों ग्राम पंचायतें नहीं है तो फ़ूड फॉर वर्क कार्यक्रम में शुरू किये जाने वाले नये कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जायेंगे।

2. प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू किये जाने की सूचना पृथक से दी जायेगी।

3. इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के इस वित्तीय वर्ष में लागू होने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

प्रेषक

(के.के. सिन्हा)
प्रमुख सचिव

संख्या 405/38-4-06-5 एनआरईजी / 05

प्रेषक,
के.के. सिन्हा
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी

आजमगढ़, बाँदा, बाराबंकी, चन्दोली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, महोबा, मीरजापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2006

विषय : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आपके जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना दिनांक 2 फरवरी 2006 से लागू हो चुकी है। इस येाजनान्तर्गत जो कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें तकनीकी स्वीकँति की आवश्यकता होगी।

इस संबंध मे आपसे मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि अगले आदेशों तक आप तकनीकी स्वीकृति के कार्य हेतु डी०बार०डी०ए० के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियान्ता तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं का उपयोग करने का कष्ट करें, परन्तु यदि कोई कार्य उक्त अभियन्ताओं की प्राधिकृत स्वीकृति सीमा से अधिक का हो तो उस पर उ०प्र० सरकार के अन्य विभागों के उच्चतर अभियन्ताओं की स्वीकृति लेने का कष्ट करें। तकनीकी स्वीकृति का अर्थ प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। यह यथा नियम प्राप्त की जायेगी।

प्रेषक

(के.के. सिन्हा)
प्रमुख सचिव